

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ललित नारायण रजक

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 281

में

2022 का विविध क्षेत्राधिकार मामला सं. 1305

24 अप्रैल, 2023

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री के. विनोद चंद्रन और माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

हेडनोट्स

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971—धारा 12(3)—याचिकाकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक निर्देश जारी किया था—इसके अनुपालन के लिए, एक अवमानना वाद दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता का वेतन जारी कर दिया—अवमाननाकर्ता ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि रिट याचिकाकर्ता से काम लेना अनुचित था और अगर रिट याचिकाकर्ता को काम करने की अनुमति दी गई तो संबंधित स्कूल के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी—उक्त पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी—अपीलकर्ता के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई—अपीलकर्ता-अवमाननाकर्ता द्वारा दायर जवाब में कोई पश्चाताप नहीं दिखाया गया— विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-अवमाननाकर्ता को अवमानना का दोषी पाया और मामले को सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया - अपीलकर्ता-अवमाननाकर्ता को अवमानना करने के पाए जाने पर सजा की धमकी दिए जाने के बाद ही उसने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक और कारण बताओ नोटिस दायर किया - इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा कि अपीलकर्ता-अवमाननाकर्ता ने अदालत के आदेश का पालन न करने में अशिष्टता और अवज्ञाकारी रवैया दिखाया था - अपीलकर्ता-अवमाननाकर्ता का आचरण क्षमा योग्य नहीं पाया गया - न्याय प्रशासन की शुद्धता के हित में, केवल दो दिनों के सिविल कारावास की सजा के साथ 50,000/- (पचास हजार) रुपये की राशि दी गई, जिसे रिट-याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाना था - सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी।

निर्णय: अपीलार्थी-अवमाननाकर्ता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है जिसका कैरियर बेदाग रहा है - याचिकाकर्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी मानने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - निष्कर्ष की पुष्टि की गई - याचिकाकर्ता की आयु और बेदाग सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए, दो दिन के सिविल कारावास की सजा को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लगाए गए 50,000/- रुपये (पचास हजार) के जुर्माने के अतिरिक्त 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार) के जुर्माने की सजा में परिवर्तित किया गया - संशोधन के साथ अपील स्वीकार की गई।

(पैराग्राफ 3, 7 से 14)

न्याय दृष्टान्त

विविध क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1305/2022 - संशोधन के साथ पुष्टि की गई।

अधिनियमों की सूची

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971

मुख्य शब्दों की सूची

अवमाननाकर्ता; बरकरार रखा; सजा; नागरिक कारावास; न्याय प्रशासन; बिना शर्त माफी।

प्रकरण से उत्पन्न

विविध क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1305/2022 के निर्णय से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री श्रीमती शिल्पा सिंह, जी.ए. 12.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का लेटर्स पेटेंट अपील सं 281
में
2022 का विविध क्षेत्राधिकार मामला सं 1305

=====
ललित नारायण रजक पिता स्वर्गीय शेष नाथ रजक, निवासी- घर संख्या 1225, काली मंदिर
लेन, बुद्धा डेंटल कॉलेज के पास, एम. जी. नगर, बी. एच. कॉलोनी, पटना। जिला-शिक्षा
पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए।

... .. अपीलकर्ता/विपक्षी

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, जिला- पूर्वी चंपारण में मोतिहारी।
5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण में,
मोतिहारी।
6. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, केशरिया, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
7. प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमुआपुर, प्रखण्ड-केशरिया, जिला-पूर्वी चंपारण,
मोतिहारी।
8. कुमारी पूनम पत्नी श्री अमित कुमार पांडे, निवासी - गाँव और पोस्ट तथा थाना- डुमरिया
घाट, जिला- पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय
सेमुआपुर, प्रखण्ड-केशरिया, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में पंचायत शिक्षक के रूप में
तैनात

... .. उत्तरदाताओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता के लिए : श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री. श्रीमती शिल्पा सिंह, जीए-12

=====

कोरम: मुख्य न्यायमूर्ति

तथा

माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद)

दिनांक:24-04-2023

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपील 2022 की एम.जे.सी. संख्या 1305 में स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही में पारित दिनांक 31-01-2023 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिससे और जिसके अंतर्गत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-अवमानकर्ता को अवमानना का दोषी ठहराया है तथा अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 (3) के संदर्भ में सजा के लिए उत्तरदायी है।

3. इस मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है, जिसमें कम से कम चार रिट याचिकाएं दायर करना शामिल हैं, जिनमें से अंतिम, 2018 का दी.रि.क्षे.मा. संख्या 977 प्रासंगिक है, जिसमें जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण के दिनांक 06-11-2017 के आदेश को लागू करने के लिए 02-05-2018 को एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए गए थे। इसके अनुपालन हेतु 2018 का एम.जे.सी. संख्या 2980 दायर की गई, जिसमें उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता का जुलाई, 2019 तक का वेतन जारी किया। इस प्रकार, अवमानना कार्यवाही बंद कर दी गई, जिससे याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला रह गया कि यदि कोई शिकायत रह जाए तो वह उपयुक्त मंच पर जा सकता है।

4. संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि पक्षों के मध्य कुछ मुकदमेबाजी के पश्चात् याचिकाकर्ता के शैक्षणिक प्रशस्तिपत्र के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था, जिसके आधार पर उसने चयन की प्रक्रिया में भाग लिया था। अधिकारियों द्वारा किए गए याचिकाकर्ता के शैक्षिक प्रमाण पत्र के सत्यापन तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दिनांक 08/16/2017 के पत्र द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला याचिकाकर्ता का शैक्षिक प्रमाण पत्र जाली नहीं था तथा वह वास्तविक था। 2016 का अपील मामला संख्या 992 में जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस तरह के निष्कर्ष के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति तथा परिणामी लाभों से वंचित कर दिया गया था, जिसके कारण रिट याचिकाकर्ता द्वारा 2018 का दी.रि.क्षे.मा. संख्या 977 दाखिल किया गया था।

5. रिट याचिका का निपटारा इस स्पष्ट निर्देश के साथ किया गया कि जिला शिक्षक नियोजन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील 2016 के मामला संख्या 992 में दिए गए निर्णय को अक्षरशः लागू किया जाए और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं, और वह भी रिट न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के भीतर। रिट याचिका में आदेश 02-05-2018 पर पारित किया गया था, जिसके बाद बनारसी कुमार साहनी द्वारा एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया था, जो रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। 2018 के दी.रि.क्षे.मा. संख्या 977 में पारित दिशा में कोई अस्पष्टता नहीं थी, यह देखते हुए उसी निर्देश को दोहराने का निपटारा किया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फल से वंचित रही, जिसने उसे एक अवमानना आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित किया जिसे 2018 के एम.जे.सी.संख्या 2980 के रूप में दर्ज किया गया था।

6. 2018 के एम. जे. सी. संख्या 2980 से उत्पन्न कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता का वेतन जुलाई 2019 तक जारी किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए अवमानना की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, यदि शिकायतें बनी रहती हैं तो उपयुक्त मंच से संपर्क करने का याचिकाकर्ता का विकल्प खुला छोड़ दें। रिट याचिकाकर्ता का उसके शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति का अधिकार, जो वास्तविक पाए गए थे, अंततः 2018 के एमजेसी संख्या 2980 से उत्पन्न अवमानना कार्यवाही में महसूस किया गया।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, जो रिट कार्यवाही में उत्तरदाता संख्या 4 थे, ने 2018 का एम.जे.सी. संख्या 2980 से उत्पन्न अवमानना कार्यवाही के निपटारे के तुरंत बाद, 16/10/2019 को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसरिया, पूर्वी चंपारण को दिनांक 11/11/2019 को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि रिट याचिकाकर्ता से काम लेना अनुचित है और यदि उसे काम करने की अनुमति दी गई तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा निर्गत पत्र, इस प्रकार, 2018 का दी.रि.क्षे.मा.. सं. 977, 2018 का, सिविल समीक्षा सं. 145 तथा 2018 का एम.जे.सी.सं. 2980 में पारित आदेशों की अवमानना है, क्योंकि उक्त पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के सेवा में बने रहने तथा उससे संबंधित लाभ प्राप्त करने के अधिकार को वंचित करने का निर्देश दिया गया है, जबकि उक्त अधिकार उपर्युक्त तीनों आदेशों रिट न्यायालय, पुनर्विचार न्यायालय तथा अवमानना न्यायालय द्वारा पारित से आदेशों से उत्पन्न हो रहे थे। दिनांक 11/11/2019 के पत्र के परिणामस्वरूप, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसरिया द्वारा दिनांक 16/11/2019 को रिट याचिकाकर्ता के विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से कार्य न लेने और उसे उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति न देने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा जारी दिनांक 11/11/2019 के पत्र और दिनांक 16/11/2019 के परिणामी पत्र, दोनों को रिट याचिकाकर्ता द्वारा 2020 के दी.रि.क्षे.मा.. संख्या 248 में पुनः चुनौती दी गई। दिनांक 18/07/2022 को, जब मामला सुनवाई के लिए आया, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“4. अतः, यह ऐसा मामला है जहाँ उसने न्यायालय को गुमराह किया, जिसके परिणामस्वरूप अवमानना की वह कार्यवाही, जो इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर 2018 के एम.जे.सी. सं. 2980 में प्रारंभ की गई थी, समाप्त कर दी गई। उक्त आदेश जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में 2018 के दी.रि.क्षे.मा. सं. 977 को लागू करने हेतु पारित किया गया था। उसने अवमानना कार्यवाही ललित नारायण रजक पिता स्वर्गीय शेष नाथ

रजक, निवासी- घर संख्या 1225, काली की पहल को याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई दबाव की रणनीति मानकर, याचिकाकर्ता को दंडित करने की प्रक्रिया अपनाई।

5. तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने का अशिष्ट व्यवहार उसके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही को न्यायालय के आदेश के पालन के आश्वासन पर वापस ले लिया गया था, जो प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना है।

6. रजिस्ट्री को संबंधित व्यक्ति श्री ललित नारायण रजक के विरुद्ध एम.जे.सी. दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है, जो न्यायालय में मौजूद हैं तथा उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि जानबूझकर तथा जानबूझकर न्यायालय की अवमानना करने हेतु उन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के प्रावधान के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

7. 27 जुलाई, 2022 को एम. जे. सी. के साथ इस मामले को सूचीबद्ध करें।

8. वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ-साथ तत्कालीन तैनात जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री ललित नारायण रजक को अगली तारीख को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”

8. स्वतः संज्ञान से अवमानना कार्यवाही में, तत्काल अपीलकर्ता -अवमानकर्ता ने जवाब दाखिल किया। इस न्यायालय ने तथ्यों पर उचित विचार करने पर पाया कि अवमानना की कार्यवाही का निपटारा किया गया था क्योंकि न्यायालय को सूचित किया गया था कि रिट

याचिकाकर्ता का वेतन भुगतान कर दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति तथा भुगतान की वैधता के बारे में घोषणा के परिणामस्वरूप परिणामी लाभ, 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 977 तथा 2018 की सिविल पुनर्विलोकन संख्या 145 में पारित आदेश का फल होने के कारण, याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया था। ऐसा करने के बाद, अपीलकर्ता-अवमानकर्ता ने दिनांक 11/11/2019 को पत्र जारी किया। इस प्रकार, इस पत्र को जारी करना स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण था तथा 2018 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 977 तथा 2018 की सिविल पुनर्विलोकन संख्या 145 में पारित आदेश का अपमान था। वर्तमान अपीलकर्ता-अवमानकर्ता द्वारा दायर जवाब, हालांकि, किसी भी पश्चाताप को नहीं दर्शाता था। उन्होंने अपने कारण पृच्छा के कंडिका-9 में स्वीकार किया था कि उन्होंने आदेश के अनुपालन के संबंध में 2018 के एम.जे.सी. संख्या 2980 में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा रिट याचिकाकर्ता के वेतन का भुगतान जुलाई 2019 तक सुनिश्चित किया गया था। हालांकि, उसी सॉस में, उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसरिया और प्रभारी प्रधानाध्यापक को दिनांक 11/11/2019 के पत्र के तहत जारी अपने निर्देशों को सही ठहराने की कोशिश की है कि वे याचिकाकर्ता को काम करने की अनुमति न दें। न्यायालय ने अपीलकर्ता-अवमानकर्ता को अवमानना का दोषी पाया और मामले को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

9. अवमानना करने के निष्कर्ष पर वर्तमान अपीलकर्ता को सजा की धमकी दिए जाने के पश्चात् ही उसने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक और कार पृच्छा याचिका दायर की। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी किया कि अपीलकर्ता-अवमानकर्ता ने अदालत के आदेश का पालन नहीं करने में लापरवाही तथा अपमानजनक रवैया दिखाया था। उन्होंने रिट याचिकाकर्ता के स्थान पर गलत तरीके से नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अदालत के आदेश की व्याख्या अपने तरीके से की थी। यह आचरण अक्षम्य पाया गया। न्यायालय ने माफी को केवल एक जुबानी सेवा पाया तथा याचिकाकर्ता की सरलता तथा माफी की सतही अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं हुआ।

10. हालांकि, अपीलकर्ता के याचिकाकर्ता की याचिका कि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक विस्तारक परिस्थिति के रूप में स्वीकार की गई थी। इसलिए, न्याय के प्रशासन की शुद्धता के हित में, 50,000/- (पचास हजार) रुपये की राशि जिसे याचिकाकर्ता को जमा किया जाना था के साथ केवल दो दिनों के नागरिक कारावास की सजा दी गई थी। निर्णय सुनाने के बाद, न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत

याचिकाकर्ता के अपील के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, सजा को निलंबित कर दिया गया और अपीलकर्ता-अवमानकर्ता को अपील दायर करने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते कि वह पटना उच्च न्यायालय के महा पंजीयक की संतुष्टि के लिए 20,000/- (बीस हजार) रुपये की राशि जमा करने की गारंटी प्रस्तुत करे।

11. यह वह आदेश है जो आज हमारे सामने विचार हेतु है। अपीलकर्ता-अवमानकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक दीवानी कारावास का संबंध है, सजा बहुत कठोर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता-अवमानकर्ता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है जिसका कार्यकाल बेदाग है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के परिणामों से दोषमुक्त करने हेतु विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर किए गए दूसरे कारण पृच्छा में माफी की अभिव्यक्ति के साथ विचार किया जा सकता है।

12. उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिकाकर्ता द्वारा पहले कारण पृच्छा और दूसरे कारण पृच्छा का सार यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी बताया गया है। उक्त निष्कर्ष की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

13. याचिकाकर्ता की आयु और बेदाग सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, न्याय प्रशासन में शुचिता बनाए रखने के लिए, दो दिन के सिविल कारावास की सजा को, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लगाए गए 50,000/- रुपये (पचास हजार) के जुर्माने के अतिरिक्त, 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार) के जुर्माने में परिवर्तित करना उचित और समीचीन समझेगा। अपीलकर्ता-अवमानकर्ता के विद्वान वकील ने, निर्देश मिलने पर, कहा है कि वह सिविल कारावास के बदले में इन दंडात्मक परिणामों का पालन करेगा, वह भी इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार (04) सप्ताह के भीतर, जिसके बाद यह न्यायालय निर्देश देता है कि जमानत और जमानत बांड मुक्त माने जाएँगे। यदि अपीलकर्ता ऊपर निर्देशित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे 50,000/- रुपये और दो दिन के सिविल कारावास की वसूली का भागी होना होगा। यदि भुगतान किया गया है तो राशि आठवें उत्तरदाता को दी जाएगी; शिक्षक को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

14. दंडात्मक परिणामों में उपरोक्त संशोधन के साथ, लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

श्यामबिहारी/

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।